



UPLK010073652026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखनऊ

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०-839/2026

रवि राठौर बनाम उ०प्र० राज्य

दिनांक-12.06.2026

1. पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।
2. यह स्थानान्तरण आवेदन, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-षष्ठम, लखनऊ में लम्बित आवेदक के सीज वाहन सं०-यू.पी. 32 क्यू.टी. 4276 से सम्बंधित अन्तर्गत धारा 207 एम.वी. ऐक्ट सीजर/चालान सं०-UP230151260513092756 को उक्त न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है एवं यह आधार लिया गया है कि उक्त न्यायालय रिक्त है।
3. उक्त स्थानान्तरण आवेदन पर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-षष्ठम, लखनऊ के प्रभारी पीठासीन अधिकारी द्वारा आख्या दिनांकित 02.06.2026 प्रस्तुत की गयी, जिसमें सरकार बनाम रवि राठौर वाहन सं०-यू.पी. 32 क्यू.टी. 4276, थाना-सैरपुर का सीजर उक्त न्यायालय में लम्बित होने तथा न्यायालय रिक्त होने का उल्लेख किया गया।
4. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
5. चूँकि सम्बंधित न्यायालय रिक्त है। अतः स्थानान्तरण हेतु पर्याप्त आधार है। तदैव, स्थानान्तरण आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

-आदेश-

स्थानान्तरण आवेदन स्वीकार किया जाता है। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-षष्ठम, लखनऊ में लम्बित आवेदक के सीज वाहन सं०-यू.पी. 32 क्यू.टी. 4276 से सम्बंधित अन्तर्गत धारा 207 एम.वी. ऐक्ट सीजर/चालान सं०-UP230151260513092756 को उक्त न्यायालय से न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-31, लखनऊ में विधि-अनुसार सुनवायी एवं निस्तारण हेतु अन्तरित किया जाता है।

सर्वसम्बंधित सूचित हों।

(मलखान सिंह)

सत्र न्यायाधीश,

लखनऊ